अध्याय-VI

कार्यों का निष्पादन

6.1 मनरेगा के अंतर्गत कार्यों का निष्पादन

मनरेगा ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक परिवार को मांग के आधार पर परिसम्पतियों के सृजन हेतु एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के रोजगार के लिए कानूनी गारंटी प्रदान करता है।

वर्ष 2019-24 के दौरान मनरेगा के तहत कार्यों की स्थिति **तालिका 6.1** में दी गई है।

तालिका 6.1: 2019-24 के दौरान कार्य की स्थिति (अक्टूबर 2024 तक)

वर्ष	पूर्ण कार्य	पूर्ण कार्यों पर व्यय (₹ करोड़ में)	प्रगतिरत/स्थगित (अपूर्ण) कार्यों की संख्या।	स्वीकृत लेकिन अभी तक अप्रारम्भ कार्य
2019-20	381706	2680.49	347559	130963
2020-21	237117	3674.70	353273	180264
2021-22	214363	3512.40	314657	225987
2022-23	180786	2955.07	312823	311497
2023-24	249603	2691.94	387588	432506
कुल	**1263575**	**15514.60**		

(स्रोतः अक्टूबर 2024 तक का डाउनलोड किया गया सूचना प्रबंधन प्रणाली प्रतिवेदन (आर 6.1) से संकलित आंकड़े)

लेखापरीक्षा ने 2019-24 की अवधि के सूचना प्रबंधन प्रणाली के आंकड़ो से पाया कि कुल 20.83[1] लाख स्वीकृत/अनुमोदित कार्यों में से ₹ 15,514.60 करोड़ रुपयों के व्यय के साथ केवल 12.64 लाख कार्य (61 प्रतिशत) ही पूर्ण किये गए, जबकि 3.87 लाख कार्य प्रगति पर/अपूर्ण थे और 4.32 कार्य प्रारम्भ ही नही हो सके (अक्टूबर 2024 की स्थिति के अनुसार)। अधूरे कार्यों का मुख्य कारण स्थल विवाद, स्थल में परिवर्तन एवं लाभार्थियों की अनिच्छा एवं ग्राम सभा के प्रस्ताव/अनुमोदन के बिना कार्यों की मंजूरी देना था। अपूर्ण और अप्रारम्भ कार्यों का उच्च अनुपात योजना, निष्पादन और निगरानी तंत्र में कमियों को दर्शाता है।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2019-24 के दौरान अनुमोदित/स्वीकृत किये गए कुल कार्यों की वर्षवार जानकारी न तो सूचना प्रबंधन प्रणाली में उपलब्ध थी और न ही विभाग द्वारा प्रदान की गई थी, जिससे योजना के तहत क्रियान्वयन की दक्षता तथा संसाधनों के उपयोग में दक्षता का आकलन करने में लेखापरीक्षा सीमित रह गई।

[1] स्वीकृत कार्य = 20.83 लाख {पूर्ण कार्य (2019-24) = 12.64 लाख + 2023-24 तक प्रगतिरत कार्य = 3.87 लाख + 2023-24 तक अप्रारम्भ कार्य = 4.32 लाख}

6.2 नमूना जांच किए गए जिलों में अपूर्ण और परित्यक्त कार्यों की स्थिति

अपूर्ण और परित्यक्त कार्यों ने संबंधित वर्षों के श्रम बजट में स्वीकृत मानव-दिवसों की उपलब्धि को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। छः नमूना-जांच किए गए जिलों में वर्ष 2019-24 के दौरान अपूर्ण और अप्रारम्भ कार्यों का विवरण **तालिका 6.2** में दिया गया है।

तालिका 6.2: नमूना-जांच किए गए जिलों में अपूर्ण कार्यों की स्थिति

जांच किए गए जिले का नाम	अपूर्ण कार्यों की संख्या (2019-24)	प्रारम्भ किए गए लेकिन अधूरे कार्य (मार्च 2025 तक)			अधूरे कार्यों पर व्यय (₹ करोड़ में)	बंद/परित्यक्त कार्यों की संख्या	अप्रारम्भ कार्यों की संख्या	पूर्ण हुए कार्य
		2019-20	2020-21	2021-22				
बलरामपुर	5459	120	439	437	122.29	157	13054	33177
दंतेवाड़ा	3717	112	520	236	55.5	1260	11988	21280
जशपुर	7288	420	625	780	117.65	107	3377	59673
रायगढ़	6078	627	877	985	91.03	826	11310	67190
रायपुर	5286	590	621	627	148.28	1466	9425	17682
सरगुजा	5478	686	525	433	63.05	541	17143	44633
कुल	**33306**	**2555**	**3607**	**3498**	**597.80**	**4357**	**66297**	**243635**

(स्रोतः सूचना प्रबंधन प्रणाली प्रतिवेदन से संकलित आंकड़े)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2019-22 के दौरान 3,47,595[2] कार्य स्वीकृत किए गए थे, लेकिन केवल 2,43,635 कार्य पूर्ण किए जा सके, और 33,306 कार्य अधूरे रहे। इसके अतिरिक्त, 4,357 कार्यों को इच्छित परिसंपत्तियों के निर्माण के बिना अधूरा छोड़ दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 33.31 लाख का निष्फल व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त, 66,297 कार्य प्रारम्भ नहीं किए जा सके जिससे रोजगार का सृजन नहीं हो सका। मार्च 2025 तक, कुल 2,555 कार्य (2019-20 में प्रारम्भ), 3,607 कार्य (2020-21 में प्रारम्भ) एवं 3,498 कार्य (2021-22 में प्रारम्भ) दो से तीन साल बीत जाने के बाद भी अधूरे रहे। अधूरे/अप्रारंभ कार्यों के मुख्य कारण स्थल विवाद, स्थलों में परिवर्तन और धन की उपलब्धता का अभाव आदि थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2019-24 के दौरान, छः नमूना जांच किए गए जिलों में परिवारों को प्रदान किया गया औसत रोजगार 51 से 66 दिनों के मध्य था। कार्यों को निष्पादित करने में विफलता के कारण अपेक्षित परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं हो सका और इससे मनरेगा में परिकल्पित रूप से 100 दिनों की रोजगार गारंटी प्रदान करने की योजना लक्ष्य प्रभावित हो सकती है।

सरकार ने कहा (जुलाई 2025) कि निष्पादन प्रारम्भ होने के बाद अनुमोदित कार्य प्रगतिरत कार्यों में स्थानांतरित हो जाते हैं। कार्य मुख्य रूप से भौतिक रूप से पूरे किए गए कार्यों के लिए लंबित सामग्री भुगतान, रखरखाव के तहत वृक्षारोपण कार्य, स्थल परिवर्तन, भूमि विवाद, मौसम की

[2] स्वीकृत/अनुमोदित कार्य = पूर्ण (243635) + अपूर्ण (33306) + अप्रारम्भ (66297) + परित्यक्त (4357) = 347595

स्थिति और लाभार्थियों की अनिच्छा के कारण अधूरे रहे। निगरानी विभिन्न स्तरों पर की जाती है, लेकिन योजना मांग-आधारित है, इसे पूरा करना ग्राम पंचायत में अकुशल श्रमिकों की भागीदारी और इच्छा पर काफी हद तक निर्भर करता है।

6.3 अभिसरण कार्यों की स्थिति

मनरेगा योजना के साथ अभिसरण के लिए चिन्हित परियोजनाओं पर परियोजना क्षेत्र में स्थित ग्राम सभा में चर्चा की जानी चाहिए। मनरेगा योजना के तहत निष्पादन के लिए पहचाने गए गतिविधियों को कार्यों की वार्षिक सूची में शामिल किया जाना चाहिए और वे श्रम बजट का हिस्सा होंगे। चयनित जिलों में अभिसरण कार्यों की स्थिति **तालिका 6.3** में दी गई है।

तालिका 6.3: चयनित जिलों में अभिसरण कार्य की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अभिसरण के तहत स्वीकृत कार्यों की संख्या	पूर्ण कार्यों की संख्या।	प्रगतिरत कार्यों की संख्या	अप्रारम्भ कार्य	अभिसरण के तहत कुल व्यय
2019-20	97415	55808	38151	3456	108.99
2020-21	56693	24727	26333	5633	121.22
2021-22	41722	15193	19063	7466	119.99
2022-23	38629	11230	17460	9939	125.61
2023-24	65702	15624	39204	10874	166.56
कुल	**300161**	**122582**	**140211**	**37368**	**642.37**

(स्रोतः सूचना प्रबंधन प्रणाली *के आंकड़े)*

वर्ष 2019-24 के दौरान, चयनित छः जिलों में मनरेगा योजना के अंतर्गत जल संसाधन विकास, लोक निर्माण, कृषि, उद्यानिकी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवाओं, वन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास आदि जैसे संबंधित विभागों के साथ अभिसरण में तीन लाख कार्यों को स्वीकृति दी गई थी। तथापि, 1.22 लाख (40 प्रतिशत) कार्य पूरे किए गए थे, जबकि 1.40 लाख कार्य प्रगतिरत थे और 37,368 कार्य संबंधित विभागों द्वारा अक्टूबर 2025 तक प्रारम्भ नहीं किए जा सके थे।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि चयनित ग्राम पंचायतों में 336 कार्यों में से 94 कार्य अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण में निष्पादित किए गए थे, जिनमें से 88 कार्य (94 प्रतिशत) वार्षिक कार्य योजना में शामिल किए बिना और संबंधित ग्राम पंचायत से अनुमोदन प्राप्त किए बिना किए गए थे। यह योजना मानदंडों से विचलन और कमजोर अंतर-विभागीय समन्वय को इंगित करता है।

सरकार ने कहा (जुलाई 2025) कि चूंकि मनरेगा मांग-आधारित है, भारत सरकार और राज्य सरकारों की प्राथमिकता के तहत कुछ कार्य वर्ष के मध्य में प्रारम्भ किए जाते हैं और उन्हें कार्योत्तर, स्वीकृति प्रदान की जाती है। ग्राम पंचायत की प्राथमिकताओं में हुए परिवर्तन का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बाद में ग्राम सभा स्वीकृतियों के माध्यम से नियमित किया जाता है।

उत्तर वार्षिक कार्य योजना में शामिल किए बिना अभिसरण कार्यों को निष्पादन की पुष्टि करता है तथा ग्राम सभा के पूर्व अनुमोदन की अनुपस्थिति निर्धारित योजना प्रक्रिया से विचलन को दर्शाती है।

6.4 क्लस्टर सुविधा परियोजना का निष्पादन

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने दिसंबर 2019 में क्लस्टर सुविधा परियोजना के लिए एक दिशानिर्देश जारी किया था, जिसका उद्देश्य बेहतर समन्वय, योजना और कार्यान्वयन के माध्यम से मनरेगा के साथ अभिसरण में केंद्र/राज्य सरकारों की विभिन्न प्रमुख कार्यक्रमों के तालमेल का लाभ उठाने की रणनीति के साथ 117 आकांक्षी जिलों/पिछड़े क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन करना था। क्लस्टर सुविधा परियोजना की पूरी लागत भारत सरकार द्वारा वहन की जानी थी। छत्तीसगढ़ में, भारत सरकार ने अप्रैल 2020[3] से क्लस्टर सुविधा परियोजना कार्यान्वयन के लिए 11 आकांक्षी और पिछड़े जिलों को शामिल करते हुए कुल 26 जनपदों की पहचान की थी।

6.4.1 छत्तीसगढ़ में क्लस्टर सुविधा परियोजना के संचालन में देरी

क्लस्टर सुविधा परियोजना दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 17 के अनुसार, क्लस्टर सुविधा परियोजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2023 तक होनी थी और परियोजना को समय पर प्रारम्भ करने के लिए भर्ती, उपकरण क्रय जैसे प्रारंभिक कार्य तुरंत प्रारम्भ किए जाने थे। परियोजना को मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया था। यद्यपि भारत सरकार द्वारा ₹ 2.30 करोड़ की धनराशि प्रदान की गई थी (दिसंबर 2020), लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा धन का उपयोग वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान नहीं किया जा सका। क्लस्टर सुविधा परियोजना के कार्यान्वयन के लिए, एक मानव संसाधन एजेंसी, अर्थात मेसर्स टी एंड एम सर्विसेज कंसलिंटग प्राइवेट लिमिटेड को अगस्त 2021 में नियुक्त किया गया और विषयगत विशेषज्ञों को जनवरी 2022 में तैनात किया गया था। परिणामस्वरूप, लक्षित आकांक्षी और पिछड़े जिलों में क्लस्टर सुविधा परियोजना 21 महीने (दिसंबर 2021 तक) के लिए संचालित नहीं था।

राज्य सरकार ने कहा (जुलाई 2025) कि प्रारम्भ में क्लस्टर सुविधा परियोजना 2020-21 से 2022-23 की अवधि के लिए प्रारम्भ किया गया था, दिसंबर 2020 में धनराशि प्रदान की गई था, लेकिन कोविड महामारी के कारण विषयगत विशेषज्ञों के चयन में देरी हुई और व्यय नहीं किया जा सका। यद्यपि, 2022-23 से धनराशि का उपयोग किया गया था।

यद्यपि राशि का उपयोग वर्ष 2023 से किया गया था, फिर भी क्लस्टर सुविधा परियोजना के तहत प्रमुख अपेक्षित परिणाम अप्राप्त रहे जैसा कि आगे के कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

6.4.2 विषयगत विशेषज्ञों की नियुक्ति न करना

क्लस्टर सुविधा परियोजना दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य, जिला और जनपद स्तर पर विषयगत विशेषज्ञ, क्लस्टर सुविधा परियोजना को संचालित करने के लिए अनिवार्य हैं। दिशानिर्देश क्लस्टर सुविधा परियोजना इकाई के संचालन के प्रत्येक स्तर पर आवश्यक विषयगत विशेषज्ञों की संख्या

[3] इससे पहले क्लस्टर सुविधा टीम रणनिति 2014 में प्रारम्भ की गई थी 2013 में चयनित राज्यों में दिशानिर्देश जारी किये गए थे, जिसे छत्तीसगढ़ सहित चार राज्यों के लिए 2018 तक बढ़ा दिया गया था।

प्रदान करते हैं। समझौते की शर्तों के अनुसार, मानव संसाधन एजेंसी को समझौते पर हस्ताक्षर करने के तीन महीने के अंदर आवश्यक विषयगत विशेषज्ञ की नियुक्ति करनी चाहिए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि समझौते पर अगस्त 2021 में हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन तीन महीने (नवंबर 2021 तक) के अंदर कोई नियुक्ति नहीं की गई थी और 259 विषयगत विशेषज्ञ की आवश्यकता के विरुद्ध जनवरी 2022 में मानव संसाधन एजेंसी द्वारा केवल 13 विशेषज्ञों को तैनात किया गया था। क्लस्टर सुविधा परियोजना कार्यान्वयन अवधि के दौरान विषयगत विशेषज्ञों की नियुक्ति की स्थिति **तालिका 6.4** में दी गई है।

तालिका 6.4: विषयगत विशेषज्ञों की स्थिति

विषयगत विशेषज्ञ/स्थिति	क्लस्टर सुविधा परियोजना की संख्या	आवश्यक विषयगत विशेषज्ञ	पदस्थ विशेषज्ञ			
			मार्च 2022	मार्च 2023	मार्च 2024	जुलाई 2024
राज्य परियोजना अधिकारी (प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन)	01	01	01	01	01	01
राज्य परियोजना अधिकारी (भौगोलिक सूचना प्रणाली)		01	शून्य	01	01	01
राज्य परियोजना अधिकारी (आजीविका)		01	शून्य	01	01	01
जिला प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन विशेषज्ञ	11	11	10	10	11	06
जिला भौगोलिक सूचना प्रणाली विशेषज्ञ		11	09	09	09	08
जनपद भौगोलिक सूचना प्रणाली समन्वयक	26	26	शून्य	01	01	01
जनपद प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन विशेषज्ञ		104	शून्य	17	16	09
जनपद आजीविका विशेषज्ञ कृषि और संबद्ध		104	शून्य	06	06	02
कुल		**259**	**20**	**46**	**46**	**29**

(स्रोतः विभाग द्वारा प्रदान किये गये आंकड़े तथा लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि क्लस्टर सुविधा परियोजना के तहत कुल 259 विषयगत विशेषज्ञ की आवश्यकता के विरूद्ध केवल 46 विषयगत विशेषज्ञों को तैनात किया गया था (मार्च 2024), जो बाद में घटकर 29 हो गया (जुलाई 2024),जो 89 प्रतिशत की कमी दर्शाता है। इसके अलावा, जनपद स्तर पर 234 विषयगत विशेषज्ञों के विरूद्ध केवल 12 विषयगत विशेषज्ञों को तैनात किया गया था अर्थात 95 प्रतिशत कमी थी, जबकि दो नमूना जांच वाले जनपदों गीदम और लखनपुर में, 22 विषयगत विशेषज्ञ की आवश्यकता के विरुद्ध केवल चार विशेषज्ञों को नियुक्त किया गया था। जनशक्ति की निरंतर घोर कमी ने क्लस्टर सुविधा परियोजना के लिए अपेक्षित परिणाम की प्राप्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाला होगा।

सरकार ने कहा (जुलाई 2025) कि उपलब्ध आवेदनों के आधार पर विषयगत विशेषज्ञों की भर्ती की गई थी, लेकिन कोविड महामारी के कारण नियुक्तियों में देरी हुई थी। इसके अतिरिक्त, क्लस्टर सुविधा परियोजना दिशानिर्देश सभी स्तरों पर क्लस्टर सुविधा परियोजना विशेषज्ञों के लिए एक समान और उच्च शैक्षिक योग्यता निर्धारित करते हैं। इन योग्यताओं में छूट के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया गया था।

6.4.3 प्रदर्शन संकेतकों के अन्तर्गत अपेक्षित परिणामों की प्राप्ति न होना

क्लस्टर सुविधा परियोजना दिशानिर्देशों का अनुच्छेद 12.1 क्लस्टर सुविधा परियोजना के लिए 14 अपेक्षित परिणाम के लिए मानदंड प्रदान करता है। प्रदर्शन के प्रमुख अपेक्षित परिणाम को छः या बारह महीनों में प्राप्त किया जाना था। 14 अपेक्षित परिणाम में से (**परिशिष्ट 6.1**) लेखापरीक्षा ने 10 अपेक्षित परिणामों का आकलन किया तथा शेष चार की सूचना प्रबंधन प्रणाली प्रतिवेदन की अनुपलब्धता के कारण समीक्षा नहीं की जा सकी। सभी क्लस्टर सुविधा परियोजना जनपदों के लिए प्रमुख अपेक्षित परिणामों में से एक राशि अंतरण आदेश का 100 प्रतिशत भुगतान सुनिश्चित करना था, इस लक्ष्य के विरूद्ध, 95 प्रतिशत उपलब्धि दर्ज की गई थी। सभी 26 क्लस्टर सुविधा परियोजना वाले जनपदों के लिए प्रमुख अपेक्षित परिणामों की प्राप्ति की स्थिति और पाई गई कमियों पर बाद के कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

(i) प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्यों, व्यक्तिगत कार्यों और कृषि और संबद्ध कार्यों पर व्यय

क्लस्टर सुविधा परियोजना दिशानिर्देशों (2019) के अनुसार प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्य पर व्यय, कुल व्यय का 65 प्रतिशत तक पहुंचना चाहिए जबकि व्यक्तिगत कार्यों और कृषि एवं संबद्ध कार्यों पर व्यय क्लस्टर सुविधा परियोजना प्रारम्भ होने की तारीख से छः महीने के अंदर जनपद में कुल व्यय का 60 प्रतिशत तक पहुंचना चाहिए।

राज्य के सभी 26 जनपदों में 2019-20 से 2023-24 के दौरान उपरोक्त अपेक्षित परिणामों की उपलब्धि की स्थिति **चार्ट 6.1** में विस्तृत है।

चार्ट 6.1: प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, व्यक्तिगत और कृषि कार्यों पर व्यय का विवरण

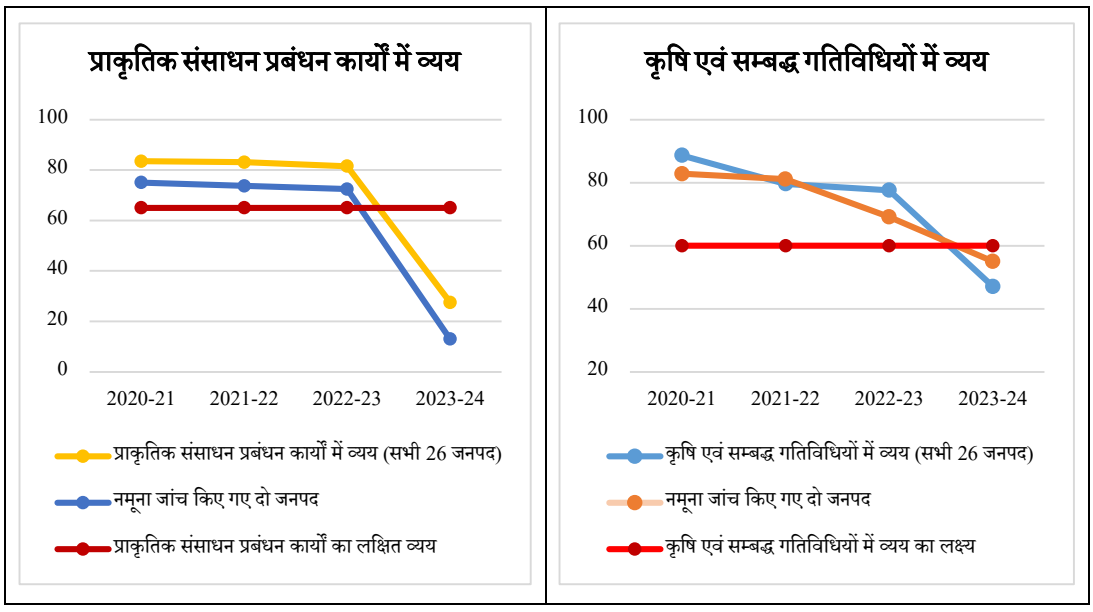

यह स्पष्ट है कि 2020-21 से 2022-23 के दौरान, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन व्यय 77 से 83 प्रतिशत के बीच निर्धारित सीमा से ऊपर रहा; यद्यपि, 2023-24 में यह काफ़ी घटकर 27 प्रतिशत हो गया, जबकि नमूना जांच वाले दो जनपदों में यह 2020-23 के दौरान 72 से 74 प्रतिशत था, जो 2023-24 में गिरकर 13 प्रतिशत रह गया।

इसके अतिरिक्त, कृषि और संबद्ध गतिविधियों के तहत व्यय का प्रतिशत वर्ष 2020-23 में 77 से 87 प्रतिशत था जबकि वर्ष 2023-24 में यह गिरकर 47 प्रतिशत रह गया। नमूना जांच किये गए दो जनपदों में यह 2020-23 के दौरान 69 से 83 प्रतिशत था, जो 2023-24 में केवल 55 प्रतिशत रह गया। इसके अलावा व्यक्तिगत कार्यों पर व्यय का प्रतिशत लगातार लक्ष्य से अधिक रहा और वर्ष 2020-24 के दौरान यह 63 से 75 प्रतिशत के बीच था, इसका तात्पर्य है कि इन जनपदों में क्लस्टर सुविधा परियोजना के कार्यान्वयन से पहले ही व्यक्तिगत कार्यों का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया था।

सरकार ने कहा (जुलाई 2025) कि भारत सरकार ने योजना के तहत स्वीकृत कार्यों की सूची को फिर से वर्गीकृत किया है (अक्टूबर 2023) और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्य सूची से कुछ कार्यों को कृषि और संबद्ध कार्य सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है जिसके कारण 2023-24 में वांछित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका। यद्यपि वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जिला परियोजना समन्वयकों को निर्देश जारी किए गए थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्यों के पुनः वर्गीकरण पर विचार करने के बाद भी वांछित लक्ष्य न तो प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में प्राप्त किए गए थे और न ही कृषि और संबद्ध कार्य श्रेणियों में।

(ii) मानव-दिवस सृजन के मापदंडों पर क्लस्टर सुविधा परियोजना जनपदों का प्रदर्शन

क्लस्टर सुविधा परियोजना दिशानिर्देशों के अनुसार, मानव-दिवस सृजन के मापदंड पर क्लस्टर सुविधा परियोजना जनपदों का प्रदर्शन क्लस्टर सुविधा परियोजना प्रारम्भ होने की तारीख से 12 महीने के बाद राज्य के औसत तक पहुंच जाना चाहिए जैसा कि **चार्ट 6.2** में दर्शाया गया है।

चार्ट 6.2: औसत मानव-दिवस सृजन की तुलना (लाख में)

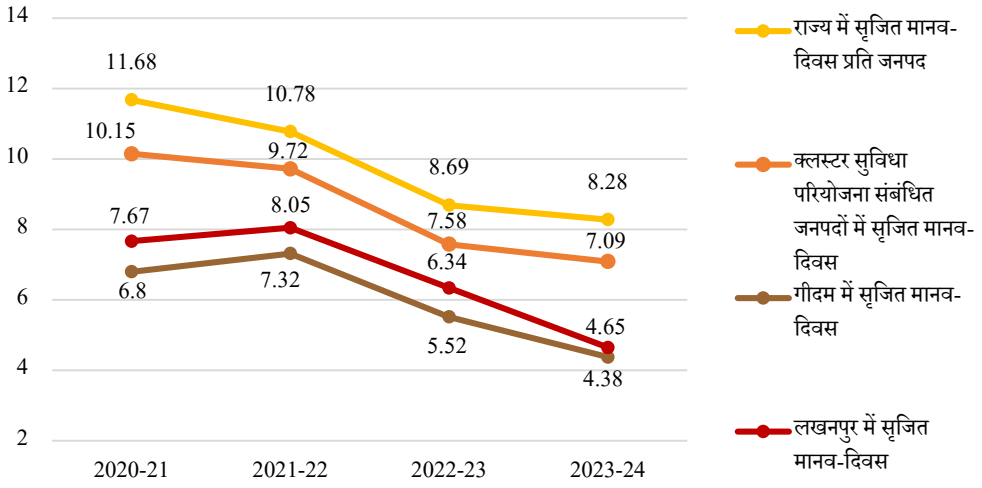

यह स्पष्ट है कि क्लस्टर सुविधा परियोजना जनपदों में वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान औसत मानव-दिवस सृजन 9.72 लाख से घटकर 7.09 लाख हो गया। राज्य के औसत की तुलना में गीदम में मानव-दिवस सृजन में कमी 32 से 47 प्रतिशत एवं लखनपुर में यह 25 से 44 प्रतिशत थी। इससे पता चलता है कि इन जनपदों में क्लस्टर सुविधा परियोजना के कार्यान्वयन के बाद भी मानव-दिवस सृजन हमेशा राज्य के औसत से कम था।

आयुक्त ने उत्तर दिया कि क्लस्टर सुविधा परियोजना के तहत शामिल किए गए 26 जनपदों में से अधिकांश दूरस्थ और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हैं जहां भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई नई आधार आधारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) को समस्याओं का सामना करना पड़ा है और परिणामस्वरूप 100 प्रतिशत मानव-दिवस हासिल नहीं किया जा सका।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि क्लस्टर सुविधा परियोजना को केवल राज्य के पिछड़े और आकांक्षी जनपदों में लागू किया गया था। इसके अतिरिक्त, प्रत्यक्ष लाभ-हस्तांतरण/ आधार आधारित भुगतान प्रणाली 2017-18 से राज्य में चालू है, जबकि मनरेगा के तहत जनवरी 2024 से यह अनिवार्य हो गया है।

(iii) भौगोलिक सूचना प्रणाली योजना के अनुसार कार्यों की शुरुआत

क्लस्टर सुविधा परियोजना दिशानिर्देशों के अनुसार, क्लस्टर सुविधा परियोजना प्रारम्भ होने के 12 महीने के अंदर जनपद में सभी ग्राम पंचायत के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित योजनाओं के अनुसार 100 प्रतिशत कार्य प्रारम्भ किए जाने चाहिए।

यह देखा गया कि वर्ष 2021-22 से 2023-24 की अवधि के दौरान भौगोलिक सूचना प्रणाली योजना के अनुसार कार्यों की शुरुआत में 16 प्रतिशत से 81 प्रतिशत सुधार हुआ है। यद्यपि, किसी भी क्लस्टर सुविधा परियोजना वाले जनपदों (कोंडागांव को छोड़कर) में 100 प्रतिशत का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सका। **चार्ट 6.3** में दर्शाए गए अवधि के दौरान चयनित दो जनपदों में यह प्रतिशत 11 से लेकर 88 तक था।

चार्ट 6.3: भौगोलिक सूचना प्रणाली योजना अनुरूप कार्यों की शुरुआत

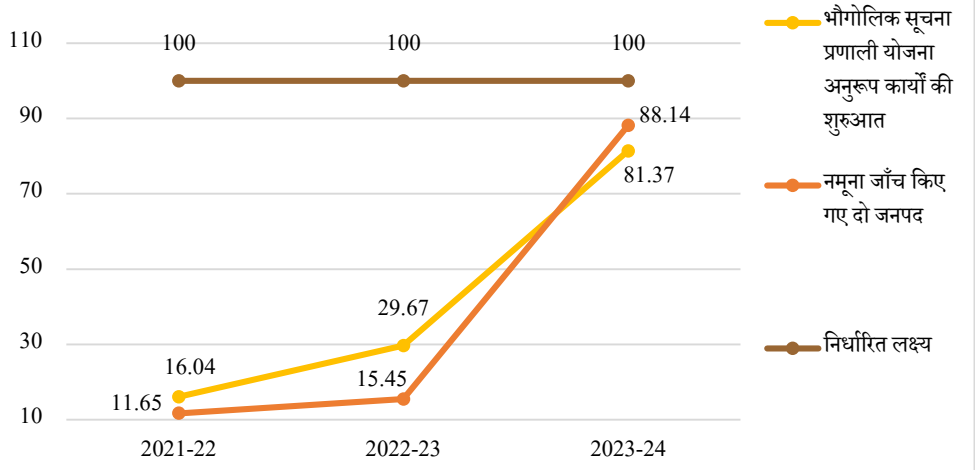

(iv) भौगोलिक सूचना प्रणाली योजना के अनुसार कार्यों को पूरा करना

क्लस्टर सुविधा परियोजना दिशानिर्देशों के अनुसार, भौगोलिक सूचना प्रणाली योजना के अनुसार लिए गए 100 प्रतिशत कार्यों को क्लस्टर सुविधा परियोजना प्रारम्भ होने से 18 महीने के अंदर पूरा किया जाना चाहिए।

यह देखा गया कि वर्ष 2021-22 से 2023-24 की अवधि के दौरान भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित योजना के अनुसार निर्धारित समय-सीमा 18 महीने में कार्य पूरा करने का प्रतिशत 34 प्रतिशत से घटकर 19 प्रतिशत हो गया । इस प्रकार किसी भी 26 क्लस्टर सुविधा परियोजना जनपदों में 100 प्रतिशत उपलब्धि का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका। दो चयनित जनपदों में **चार्ट 6.4** में दर्शाई गई अवधि के दौरान यह प्रतिशत 45 से घटकर 12 प्रतिशत हो गया था।

चार्ट 6.4:भौगोलिक सूचना प्रणाली योजना अनुसार कार्यों की पूर्णता

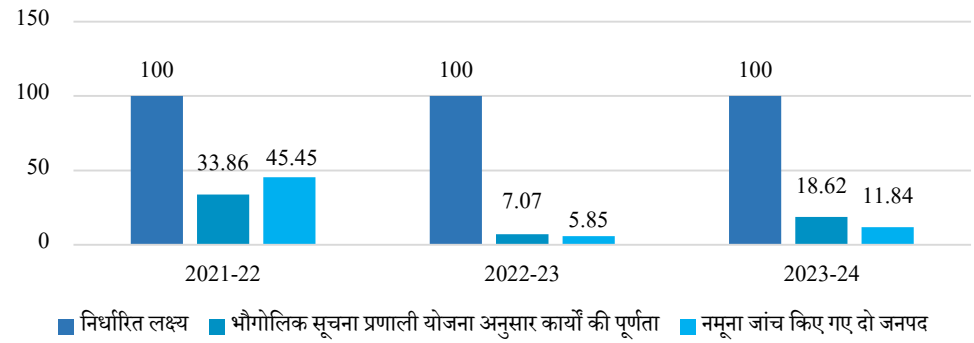

(v) कार्य पूर्णता दर

दिशानिर्देशों के अनुसार, क्लस्टर सुविधा परियोजना जनपद में काम की पूर्णता दर क्लस्टर सुविधा परियोजना की शुरुआत के 12 महीने के अंदर राष्ट्रीय औसत तक पहुंच जानी चाहिए।

सूचना प्रबंधन प्रणाली प्रतिवेदनों की जांच के दौरान यह पाया गया कि वर्ष 2019-22 में कार्यों का राष्ट्रीय पूर्णता दर 95 प्रतिशत और राज्य औसत 99 प्रतिशत था। राष्ट्रीय और राज्य औसत पूर्णता दर का विवरण **तालिका 6.5** में दिया गया है।

तालिका 6.5 कार्यों की पूर्णता दर का विवरण

वर्ष	राष्ट्रीय औसत[4]	राज्य औसत	सभी 26 क्लस्टर सुविधा परियोजना वाले जनपदों का औसत	गीदम जनपद	लखनपुर जनपद
2020-21	95.28	98.72	97.08	92.05	94.49
2021-22	95.28	98.72	96.04	92.80	81.70
2022-23	79.59	90.01	84.75	80.81	80.42
2023-24	54.53	72.42	56.98	35.74	49.55

(स्रोतः सूचना प्रबंधन प्रणाली)

[4] 2021-22 से पहले के वर्षों के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर कार्य पूर्णता दर के आंकड़ें उपलब्ध नहीं थे।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान सभी 26 क्लस्टर सुविधा परियोजना वाले जनपदों में औसत कार्य पूर्णता दर 96 प्रतिशत से घटकर 57 प्रतिशत हो गई जो क्लस्टर सुविधा परियोजना प्रारम्भ होने के बाद भी राज्य के औसत से कम थी। इसके अतिरिक्त, गीदम में पूर्णता दर क्लस्टर सुविधा परियोजना कार्यान्वयन के बाद तेजी से घटकर 92 प्रतिशत से 36 प्रतिशत (2023-24) और लखनपुर में 82 प्रतिशत से 50 प्रतिशत हो गई। इस प्रकार, क्लस्टर सुविधा परियोजना वाले जनपद राज्य के साथ-साथ राष्ट्रीय औसत कार्य पूर्णता दर प्राप्त करने में विफल रहे।

सरकार ने कहा (जुलाई 2025) कि कई दूरस्थ एवं नक्सलवाद से प्रभावित जनपदों में, नई प्रणाली के तहत भुगतान के मुद्दों के कारण, पूर्ण किए गए कार्यों के लिए 100 प्रतिशत भुगतान नहीं किया जा सका, और इसलिए परियोजना पूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं किये जा सके, यद्यपि कार्य भौतिक रूप से पूरा हो सकता है।

6.4.4 मानव संसाधन एजेंसी के कार्य प्रदर्शन मूल्यांकन के बिना समझौते का विस्तार

क्लस्टर सुविधा परियोजना दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 12.3 के अनुसार, अपेक्षित परिणामों की सालाना समीक्षा की जाएगी और विषयगत विशेषज्ञ की नियुक्ति का और विस्तार पिछले वर्ष के प्रदर्शन पर आधारित होगा। मानव संसाधन एजेंसी की प्रगति की समीक्षा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं मनरेगा की संयुक्त समिति द्वारा किया जाएगा। अनुबंध के खंड 14.1 के अनुसार, प्रारम्भ में अनुबंध पर 12 महीने के लिए हस्ताक्षर किए गए थे, उसके बाद, संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर, अनुबंध को समान नियमों और शर्तों पर एक या दो साल के लिए बढ़ाया जा सकता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मार्च 2024 तक अनुबंध के विस्तार और तीन साल की समझौते की अवधि से परे मार्च 2025 तक अनुबंध के नवीनीकरण से पहले मानव संसाधन एजेंसी के प्रदर्शन की निगरानी और मूल्यांकन नहीं किया गया था। मानव संसाधन एजेंसी तीन महीने (नवंबर 2021 तक) की निर्धारित अवधि के अंदर और यहां तक कि लेखापरीक्षा दिनांक (जुलाई 2024 तक) तक आवश्यक संख्या में विषयगत विशेषज्ञ तैनात करने में विफल रही, इसके बावजूद भी मानव संसाधन एजेंसी के प्रदर्शन का कोई मूल्यांकन किये बिना, मार्च 2025 तक विस्तार दिया गया था। मानव संसाधन एजेंसी को (जुलाई 2024 तक) ₹ 6.56 करोड़[5] की राशि का भुगतान किया गया था। इस प्रकार अप्रभावी अनुबंध प्रबंधन ने, लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान क्लस्टर सुविधा परियोजना वाले जनपदों के प्रदर्शन में कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं होने के साथ राज्य में मनरेगा के तहत क्लस्टर सुविधा परियोजना के कार्यान्वयन को प्रभावित किया।

सरकार ने कहा (जुलाई 2025) कि राज्य स्तर पर, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और मनरेगा योजना के अधिकारियों की एक समिति ने उनके प्रदर्शन के आधार पर क्लस्टर सुविधा परियोजना विशेषज्ञों का मूल्यांकन किया, उनके काम का सकारात्मक प्रभाव पड़ा था। अनुमोदन और प्रशासनिक स्वीकृति के बाद मानव संसाधन एजेंसी के साथ अनुबंध अवधि मार्च 2025 तक बढ़ा दी गई।

[5] विषयगत विशेषज्ञों के वेतन के रूप में ₹ 5.38 करोड़ एवं सेवा शुल्क के रूप में ₹ 1.18 करोड़।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि क्लस्टर सुविधा परियोजना में परिकल्पित प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों के लिए लक्ष्य के विरूद्ध संतोषजनक प्रदर्शन सुनिश्चित किए बिना ही अनुबंध बढ़ा दिया गया था।

6.5 चयनित कार्यों के संयुक्त भौतिक सत्यापन की स्थिति

लेखापरीक्षा ने चयनित 48 ग्राम पंचायतों (प्रत्येक ग्राम पंचायत में सात कार्य) में ₹ 10 करोड़ के व्यय से जुड़े 336 कार्यों का संयुक्त भौतिक सत्यापन किया। कार्यों का संयुक्त भौतिक सत्यापन सितंबर से अक्टूबर 2024 के दौरान संबंधित ग्राम पंचायत के मैदानी अमलों अर्थात रोजगार सहायक/तकनीकी सहायकों/ग्राम सचिवों के साथ आयोजित किया गया था।

6.5.1 निरर्थक व्यय

परिचालन दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 7.1.5 के अनुसार, केवल उन कार्यों को लिया जा सकता है जिनके परिणामस्वरूप टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण होता है और ग्रामीण गरीबों के आजीविका संसाधनों को मजबूत करता है। कार्यों के लिए प्राथमिकता का क्रम ग्राम पंचायतों के अंदर निर्धारित किया जाना है और ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित वार्षिक योजना में परिलक्षित किया जाना है।

चयनित कार्यों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, लेखापरीक्षा ने देखा कि योजना के तहत बनाई गई कुछ संपत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थीं और उपयोग योग्य स्थिति में नहीं थीं। इस प्रकार, इन परिसंपत्तियों के निर्माण पर किए गए ₹ 29.81 लाख का व्यय निरर्थक हो गया। कार्यों पर निरर्थक व्यय के उदहारण नीचे दिए गए हैं:

(i) ग्राम पंचायत, गोढ़ी, रायपुर में गोढ़ी मिटटी सड़क बड़े भर्री से नया तालाब तक का निर्माण मार्च 2022 में प्रारम्भ किया गया था और फरवरी 2023 में ₹ 4.38 लाख का व्यय करके पूरा किया गया था। संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि बाद में बारिश के मौसम में सड़क बह गई थी और अब उपयोग करने योग्य नहीं थी।

(ii) ग्राम पंचायत तरपोंगी, रायपुर में "तारपोंगी नया मिट्टी सड़क" का निर्माण मई 2020 में प्रारम्भ किया गया था, पूर्णता की निर्धारित अवधि दिसंबर 2020 थी। यह कार्य सितंबर, 2022 में कुल 5.70 लाख रुपये के व्यय के साथ 21 महीने की देरी से पूरा हुआ। संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, यह पाया गया कि बड़े गड्ढों की उपस्थिति के कारण सड़क उपयोग में नहीं थी और वाहनों और पैदल यात्रियों की आवाजाही के लिए अनुपयुक्त थी।

(iii) ग्राम पंचायत, तुलसीमानपुर, रायपुर में तुलसी रामनाथ के घर से नक्ता तालाब तक कच्ची सड़क निर्माण कार्य आठ महीने (अगस्त 2021) की अनुमानित पूर्णता अवधि के साथ दिसंबर 2020 में प्रारम्भ किया गया था एवं अप्रैल 2024 में ₹ 6.10 लाख का व्यय करके 32 महीने की देरी के साथ पूरा किया गया था। संयुक्त भौतिक सत्यापन (अगस्त 2024) के दौरान सड़क अपने पूरा होने के केवल छः महीने के अंदर अनुपयोगी पाई गई, जिसके परिणामस्वरूप निष्फल व्यय हुआ। संयुक्त भौतिक सत्यापन की तस्वीरें नीचे दी गई हैं:

चित्र 6.1: गोढ़ी, रायपुर
14.09.2024

चित्र 6.2: तरपोंगी, रायपुर
27.08.2024

चित्र 6.3: तुलसीमानपुर, रायपुर
28.08.2024

सरकार ने कहा (जुलाई 2025) कि अनुमोदित मुरूम कार्य की अनुपस्थिति के कारण बरसात के मौसम के दौरान मिट्टी की सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है एवं उपयुक्त तकनीकी उपायों का उपयोग करके इसकी ठीक से मरम्मत की जा रही है।

(iv) ग्राम पंचायत, कोल्हेनझरिया, जशपुर में स्वयं सहायता समूह शेड का निर्माण फरवरी 2022 में प्रारम्भ किया गया था और मई 2023 में ₹ 7.05 लाख के व्यय के साथ पूरा किया गया था। हालाँकि, संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि शेड की छत गायब थी और दरवाजा खुला था। शेड का उपयोग किसी भी स्वयं सहायता समूह द्वारा इसके पूरा होने के बाद से नहीं किया गया है एवं संरचना उपयोग योग्य स्थिति में नहीं है। इसके अतिरिक्त, कार्य को ग्राम पंचायत के प्रस्ताव में प्राथमिकता नहीं दी गई थी, जो स्थानीय आवश्यकताओं की उचित योजना और आकलन के अभाव को दर्शाता है।

चित्र 6.4: कोल्हेनझरिया, जशपुर
09.08.2024

सरकार ने कहा कि (जुलाई 2025) बारिश के दौरान, तेज हवाओं और तूफानों के कारण स्वयं सहायता समूह शेड का ऊपरी हिस्सा (छत) टूट गया और ढह गया। इसे कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा मरम्मत किया गया है।

(v) ग्राम पंचायत सिकरीमा, जशपुर में "समुदायिक पशु आश्रय" में स्वयं सहायता समूह शेड का निर्माण फरवरी 2022 में छः महीने की अनुमानित पूर्णता अवधि के साथ प्रारम्भ हुआ एवं जुलाई 2023 में ₹ 6.58 लाख का व्यय करके 12 महीने की देरी के साथ पूरा किया गया। संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, शेड को बंद पाया गया, छत बिखरी हुई थी, और उसके चारों ओर झाड़ियाँ उग गई थीं, जो यह दर्शाता है कि शेड का उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, कार्य विवरण के साथ सूचना प्रदर्शन बोर्ड गायब था।

चित्र 6.5: सिकरीमा, जशपुर
28.08.2024

सरकार ने कहा कि (जुलाई 2025), ग्राम पंचायत एक हाथी प्रभावित क्षेत्र है, शेड को बंद रखा

जाता है, और बारिश के दौरान, तेज हवाओं और तूफानों के कारण स्वयं सहायता समूह शेड का ऊपरी हिस्सा टूट गया और ढह गया था। कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा इसकी मरम्मत कर दी गई है।

6.5.2 सृजित परिसंपत्तियों के उपयोग न होने के कारण निष्फल व्यय

मनरेगा योजना के तहत व्यय करके गोठान परिसर में स्वयं सहायता समूहों के लिए वर्किंग शेड, पोल्ट्री शेड, बकरी शेड, मशरूम शेड और वर्मीकम्पोस्ट इकाइयों जैसे पशु आश्रयों जैसे विभिन्न बुनियादी ढांचे विकसित किए गए थे। संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान सृजित परिसंपत्तियां निष्क्रिय/अप्रयुक्त पड़ी पाई गईं, मामले नीचे दिए गए हैं:

(i) वर्मीकम्पोस्ट इकाइयों पर निष्फल व्यय

चयनित कार्यों की संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान मनरेगा योजना के अंतर्गत बनाई गई वर्मीकम्पोस्ट इकाईयां जो निष्क्रिय पाई गईं, का विवरण नीचे दिया गया है और **परिशिष्ट 6.2** में विस्तृत रूप से दिया गया है।

संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि पांच नमूना जांच किए गए जिलों में 2019-24 के दौरान ₹ 29.85 लाख के व्यय कर 13[6] वर्मीकम्पोस्ट इकाइयों का निर्माण पूरा किया गया था, लेकिन सभी इकाईयां स्वयं सहायता समूह के माध्यम से इसके संचालन और रखरखाव गतिविधियों को सुनिश्चित न करने के कारण निरर्थक (तस्वीरों में दिखाए गए नमूने के रूप में) पड़ी रही। इसके अतिरिक्त, इनमें से किसी भी कार्य को ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था।

चित्र 6.6: दर्री, रायगढ़ 09.09.2024

चित्र 6.7: पंडेवार, दंतेवाड़ा 22.08.2024

(ii) पशु आश्रयों पर निष्क्रिय व्यय

संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-24 में ₹ 35.76 लाख व्यय करके निर्मित 10 पशु आश्रय निष्क्रिय पाए गए क्योंकि आश्रयों में कोई भी पशु पालन गतिविधियां

[6] दंतेवाड़ा(1), जशपुर(2), रायगढ़(3), रायपुर(5) एवं सरगुजा(2)

नहीं की गईं थी। संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान ली गई तस्वीरें नीचे दी गई हैं और **परिशिष्ट 6.3** में विस्तृत हैं।

चित्र 6.8: बड़ेपनेडा, दंतेवाड़ा, 31.08.2024

चित्र 6.9: खपरीडीहखुर्द, रायपुर, 31.08.2024

(iii) पृथक्करण शेड और सामुदायिक शौचालयों पर निष्फल व्यय

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और सामुदायिक शौचालयों के लिए पृथक्करण शेड का निर्माण मनरेगा योजना के तहत स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के साथ अभिसरण में किया गया था, महिला स्वयं सहायता समूहों को इन शेडों एवं शौचालयों के संचालन में को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी थी।

संयुक्त भौतिक सत्यापन लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि 2019-2024 के दौरान ₹ 33.75 लाख का व्यय करके निर्मित 11[7] पृथक्करण शेड **(परिशिष्ट 6.4)** एक से दो वर्षों से अनुपयोगी पड़े थे। इसके अतिरिक्त, ₹ 2.35 लाख के व्यय पर निर्मित पाँच शौचालयों में ताला लगा हुआ पाया गया और खराब रखरखाव तथा पानी की टंकियों की अनुपलब्धता के कारण वे उपयोग करने योग्य नहीं थे।

वर्मीकम्पोस्ट गड्ढों, पशु आश्रयों, पृथक्करण शेड और सामुदायिक शौचालयों की निष्क्रिय स्थिति के मुख्य कारण स्वयं सहायता समूह/ग्राम पंचायतों के माध्यम से संचालन और रखरखाव की व्यवस्था सुनिश्चित न करना, बस्तियों से दूरी, निम्नस्तरीय निर्माण गुणवत्ता आदि थे। परिणामस्वरूप, स्वयं सहायता समूह को आर्थिक लाभ प्रदान करने और गांवों की स्वच्छता को बढ़ाने के लिए संपत्ति बनाने का उद्देश्य सुनिश्चित नहीं हो सका। संयुक्त भौतिक सत्यापन किए गए पृथक्करण शेड और सामुदायिक शौचालयों की तस्वीरें नीचे दिखाई गई है।

[7] बलरामपुर(3), दंतेवाड़ा(2), जशपुर(1), रायगढ़(1) एवं रायपुर (4)

चित्र 6.10: चुनापातर, बलरामपुर 28.08.2024

चित्र 6.11: बड़ेपनेडा, दंतेवाड़ा, 01.09.2024

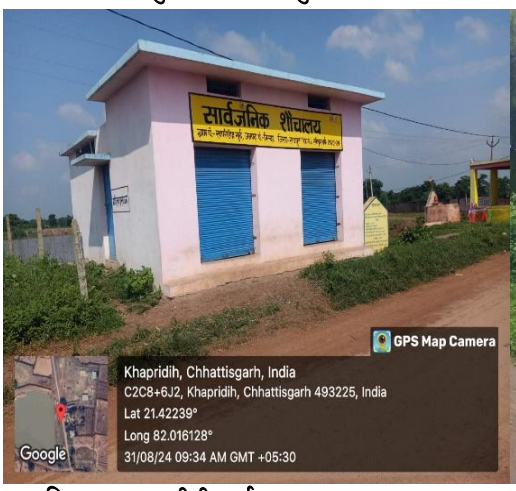

चित्र 6.12: खपरीडीहखुर्द, रायपुर, 31.08.2024

चित्र 6.13: दर्री,रायगढ़, 14.08.2024

सरकार ने कहा (जुलाई 2025) कि स्वच्छ भारत मिशन के साथ अभिसरण के तहत परिसंपत्तियों का निर्माण किया गया है। गाँव की महिला स्वयं सहायता समूहों को पशु आश्रयों, पृथक्करण शेडों और वर्मीकम्पोस्ट इकाईयों का उपयोग कर आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायतों को रखरखाव के बाद उनका उपयोग सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है।

तथ्य यथावत है कि संपत्ति का उपयोग योजना, निष्पादन और निर्माण के बाद की निगरानी और गैर-अधिकृत/ग्राम महिला स्वयं सहायता समूह को संपत्ति सौंपने में कमियों के कारण नहीं किया जा सका था।

6.5.3 चयनित कार्यों के निष्पादन में देरी

परिचालन दिशानिर्देश 2013 के अनुच्छेद 7.17.1 तथा अनुच्छेद 7.17.5 के अनुसार, कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए एक वर्ष से अधिक समय में निष्पादित किए जाने वाले कार्यों को वार्षिक कार्य के अलग-अलग घटकों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें प्रत्येक वार्षिक कार्य घटक को अलग-अलग विशिष्ट कार्य पहचान दी जाए। जिन ग्राम पंचायतों में एक वित्तीय वर्ष से अधिक का कार्य अधूरा है, उन्हें पहले अपूर्ण कार्यों के लिए आवश्यक श्रम रोजगार क्षमता आवंटित करनी चाहिए।

जांच से पता चला कि वर्ष 2019-24 के दौरान स्वीकृत चयनित 336 कार्यों में से कार्य निर्धारित पूर्णता अवधि की समाप्ति के छः से साठ महीने बीत जाने के बावजूद अभी भी (दिसम्बर 2024 तक) अधूरे या प्रगतिरत थे। इसके अतिरिक्त, पूर्ण 270 कार्यों में से, 216 को एक से पांच साल की देरी के साथ पूरा किया गया था, जिसमें 126 कार्यों में एक वर्ष तक की देरी हुई, 61 कार्य दो साल तक और 29 दो साल से अधिक समय तक विलंबित थे। देरी मुख्य रूप से स्थल परिवर्तन, भूमि विवादों, भुगतान में देरी और व्यक्तिगत कार्यों में लाभार्थी की रुचि की कमी के कारण थी। यह लंबित कार्यों के अकुशल निष्पादन और प्राथमिकता न दिए जाने को दर्शाता है।

सरकार ने कहा कि (जुलाई 2025) देरी मुख्य रूप से स्थल बदलाव, भूमि विवाद, बारिश और व्यक्तिगत कार्यों में लाभार्थी के रूचि की कमी के कारण होती है, कारण अक्सर अपरिहार्य होते हैं। मनरेगा मांग-आधारित है, जिला परियोजना समन्वयक उचित औचित्य के साथ 20 चल रहे कार्यों से परे नए कार्यों को मंजूरी दे सकते हैं, विशेष रूप से ग्रामीण आजीविका का समर्थन करने वाली प्राथमिकता वाली संपत्तियों के लिए।

तथ्य यह है कि नए कार्यों को प्रारम्भ करने से संबंधित निर्देशों का पालन न करने के कारण निर्माण की निर्धारित अवधि से परे महत्वपूर्ण संख्या में कार्य अधूरे रहे या असामान्य रूप से देरी हुई।

6.5.4 मनरेगा परिसंपत्तियों की जियोटैगिंग

मनरेगा परिचालन दिशानिर्देश 2013 के अनुच्छेद 7.16.2 में यह निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक कार्य की तीन चरणों में अर्थात काम प्रारम्भ होने से पहले स्थल पर, मध्यवर्ती चरण में और इसके पूरा होने के बाद जियो-टैग की गई समय-मुहर लगे फोटो लिए जाने चाहिए एवं परियोजना पूर्णता प्रतिवेदन के साथ संलग्न किया जाना चाहिए तथा नरेगासॉफ्ट पर अपलोड किया जाना चाहिए। परिसंपत्ति की जियोटैगिंग की प्रक्रिया में प्रत्येक परिसंपत्ति की दो तस्वीरें अपलोड करना एवं भुवन जियो मनरेगा पोर्टल पर प्रासंगिक आंकड़ा प्रदर्शित करना शामिल है।

चयनित 48 ग्राम पंचायतों में 2019-24 के दौरान 336 कार्यों में सृजित और जियो-टैग परिसंपत्तियों की स्थिति **तालिका 6.6** में प्रस्तुत की गई है।

तालिका 6.6: चयनित कार्यों का निर्माण एवं जियो-टैग की गई परिसंपत्ति

वर्ष	सृजित परिसंपत्तियों की संख्या	जियो-टैग की गई परिसंपत्तियों की संख्या			जियो-टैग नहीं की गई परिसंपत्तियों की संख्या		
		चरण-I	चरण-II	चरण-III	चरण-I	चरण-II	चरण-III
2019-20	25	19	18	18	6	7	7
2020-21	63	60	53	47	3	10	16
2021-22	63	60	60	52	3	3	11
2022-23	73	69	65	52	4	8	21
2022-2023	112	91	83	42	21	29	70
कुल	**336**	**299**	**279**	**211**	**37**	**57**	**125**

(स्रोतः भुवन जियो मनरेगा पोर्टल)

लेखापरीक्षा में पाया गया कि चयनित 336 कार्यों में से चरण-I, चरण-II और चरण-III के लिए जियो-टैग की गई तस्वीरें भुवन जियो मनरेगा पोर्टल पर क्रमशः केवल 299, 279 और 211 कार्यों के लिए उपलब्ध थी। सभी निर्धारित चरणों में जियो-टैगिंग का अभाव कार्य निष्पादन की पारदर्शिता और निगरानी में कमी को इंगित करती है।

राज्य सरकार ने कहा कि कार्यों की भौतिक स्थिति के आधार पर परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग की गई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि सरकार ने निर्धारित चरणों में परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग न किये जाने के लिए कोई विशिष्ट औचित्य प्रदान नहीं किया।